कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर

पत्रांक 5378 / 14-1 दिनांक, कानपुर, मई, 08 2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

विषय – गेल इंण्डिया लि0 द्वारा प्रस्तावित परियोजना 24''/36'' नेचुरल गैस पाइप लाइन झांसी–औरैया–फूलपुर के निर्माण हेतु झांसी, उरई, औरैया, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं इलाहाबाद वन प्रभागों में प्रभावित कुल 2.064771643 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 1536 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– भारत सरकार की पत्र सं0–8बी / यू0पी0 / 09 / 77 / 2017 / 909 दिनांक 16.03.2018 एवं मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक 2680 / 11–सी–FP/UP/Other/23971/2017, दिनांक 19.03.2018 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा भारत सरकार ने विषयक प्रकरण में 2 बिन्दुओं पर उठायी गयी आपत्तियों की वॉछित बिन्दुवार आख्या प्रभागीय निदेशक / प्रभागीय वनाधिकारी, कानपुर, कानपुर देहात तथा औरैया द्वारा उपलब्ध करायी गयी हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है–

क0सं0	आपत्ति	उत्तर
1	2	3
1	प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत FRA 2006 प्रमाण पत्र का प्रारुप / कथन सही नहीं है।	FRA 2006 का संशोधित प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में प्रभागीय निदेशक, कानपुर नगर, प्रभागीय वनाधिकारी, कानपुर देहात व औरैया से 3–3 प्रतियॉ मूल में संलग्न कर प्रेषित है।
2	राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव के भाग–2 में वृक्षों / पौधों की संख्या में विसंगति का निस्तारण किया जाये।	इस मण्डल से सम्बन्धित भाग–2 में वृक्षों / पौधों की संख्या में कोई विसंगति नहीं है।
3	इन त्रुटियों हेतु सम्बन्धित अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये। प्रकरण में किसी भी प्रकार के विलम्ब के लिये राज्य सरकार जिम्मेदार होगी।	इस मण्डल से सम्बन्धित नहीं है।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार

भवदीय

(रमेश चन्द)
मुख्य वन संरक्षक
कानपुर मण्डल, कानपुर

संख्याः / समदिनांकित

प्रतिलिपि – प्रभागीय निदेशक / प्रभागीय वनाधिकारी, कानपुर नगर, कानपुर देहात एवं औरैया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – मुख्य प्रबन्धक (निर्माण), गेल इण्डिया लिमिटेड, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द)
मुख्य वन संरक्षक
कानपुर मण्डल, कानपुर